

40

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म०प्र० राजस्व मण्डल.

ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

निगरानी 2536 III-15



100.201

229
27-6-15

श्यामवती वाई उर्फ श्यामवाई पत्नी भगवती प्रसाद रैदास पुत्री धनुकधारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमरकंट तह० पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर म०प्र०

आवेदिका

बनाम्

म०प्र० राज्य

अनावेदक

निगरानी / पुर्नविलोकन / अभ्यावेदन विरुद्ध
आदेश कलेक्टर अनुपपुर दिनांक 28/02/12
बावत् प्रकरण नि० 7/2011-12 व आदेश
तारीख 11/06/07

श्री. राजनीश्वरिका
द्वारा आज दिनांक 27-6-15
प्रस्तुत किया गया।

सिद्ध

क्रमांक..... मान्यकर
रजिस्टर्ड पोस्ट आज
दिनांक..... को प्राप्त

निगरानी / पुर्नविलोकन / अभ्यावेदन के आधार निम्नलिखित है:-

राजस्व मण्डल कोर्ट यह कि अधीनस्थ न्यायालय की अन्य के अतिरिक्त आगे दर्ज समस्त कार्यवाही आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यह कि अधी० विचारण न्यायालय तहसीलदार वृत्त मंजरी तह० पुष्पराजगढ़, के समक्ष आवेदिका सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया और जिन भूमियों का सीमांकन किया जाना था। वे भूमियाँ आवेदिका की पुस्तैनी भूमियाँ थी यानी आवेदिका के पिता 2 भाई थे आवेदिका के पिता का नाम धनुकधारी व चाचा का नाम रेवादास था आवेदिका के पिता धनुकधारी दीमागी रूप से अस्वस्थ थे, इस कारण धनुकधारी व


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०नि.2536-तीन/15

जिला-अनूपपुर

श्यामवती बाई / शासन म०प्र०

(1)	(2)	(3)
17.01.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M